संख्या: 1423 /XXIV-3/07/02(116)2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक: 16 जनवरी 2008 ~~दिसम्बर, 2007~~

विषय: अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 5(ख)/30531/एस0सी0एस0पी0/2007–08/ दिनांक: 10 सितम्बर, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित 07 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ–3 पर उल्लिखित कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणनों के परीक्षणोपरान्त स्तम्भ–4 पर कुल अनुमोदित लागत रूपये 509.95 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ–5 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू0 194.95 लाख (रूपये एक करोड़, चौरानवें लाख, पिच्चानवें हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या: 1010/XXIV-3/2007/02(20)2007, दिनांक 03 अगस्त, 2007 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है:–

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	निर्माण एजेन्सी का नाम	टी.ए.सी.द्वारा अनुमोदित लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1.	रा0कन्या उ0मा0वि0 ताड़ीखेत अल्मोड़ा	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एव निर्माण निगम रानीखेत, अल्मोड़ा	38.55	14.55
2.	रा0इ0का0 सिलौर महादेव, अल्मोड़ा	–तदैव–	36.90	13.90
3	रा0उ0मा0वि0, टिम्टा, पिथौरागढ़।	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्पावत	66.15	26.15
4.	रा0उ0मा0वि0, भिनगड़ी, पिथौरागढ़।	–तदैव–	69.35	27.35
5.	राजकीय इण्टर कालेज गरूड़, बागेश्वर	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, बागेश्वर	124.10	44.10
6.	रा0इ0का0 दुगड्डा, पौड़ी	उ0प्र0रा0 निर्माण निगम, हरिद्वार	81.85	31.85
7.	रा0इ0का0 थापलाऔंण, टिहरी।	उ0प्र0रा0 निर्माण निगम, टिहरी	93.05	37.05
	कुल योग:–		509.95	194.95

कृपया 2

(1)– उपर्युक्त विद्यालयों के अनुसूचित जाति बहुल्य ग्रामों/वार्डों में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

(2)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(3)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5)– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(6)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(7)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(8)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री को किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(10)– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(11)– किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं मानक के अनुसार गठित किया जाये तथा उसकी सूचना प्रशासकीय विभाग को भी दें एवं डिग्री कालेजों/मेडिकल के हॉस्टलों का निर्माण एच0आई0सी0 के मानकों के आधार पर प्रारम्भिक आगणन गठित किये जायें।

(12)– शासनादेश संख्या: **2047/XIV-219 (2006)** दिनांक: 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(13)– यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य संगत न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

क्रमशः ...3

अपर

(14)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(15)– निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निर्माण संस्था द्वारा विभागाध्यक्ष/संस्था को उपलब्ध कराये जायेगें।

(16)– विभाग गुणवत्ता/प्रगति के अनुश्रवण/चैकिंग हेतु third party checking की व्यवस्था करेगें। व्यय सैंटेज चार्जेज से वहन किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्यवक में अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा––आयोजनागत–02–अ0सू0जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–अ0सू0जा0 बाहुल्य क्षेत्रों में रा0इ0का, इ0 कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण–24–वृहद निमार्ण कार्य के नाम डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 701(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2007 दिनांक: 27.11.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

/

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

संख्या: 1423(1) /XXIV-3/07/02(116)2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल– नैनीताल/गढवाल मण्डल– पौडी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल– नैनीताल/गढवाल मण्डल– पौडी।
7– मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा अनुभाग)
8– जिलाधिकारी, पिथौरागढ, अल्मोडा, बागेश्वर, पौडी, टिहरी।
9– कोषाधिकारी, पिथौरागढ, अल्मोडा, बागेश्वर, पौडी, टिहरी।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ, अल्मोडा, बागेश्वर, पौडी, टिहरी।
11– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
13– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(पी0एल0शाह)
उप सचिव